तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नारायण V/S भैरू 29/2014

पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] बार एसोसियेशन [illegible] किया हुआ है। पीठासीन [illegible] कार्य में व्यस्त है। [illegible] साबिक आदेश दिनांक 14/6/24 [illegible] पेश हो।

आज्ञा से रीडर

14/6/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष . पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 30/8/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

30/8/24 पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त अवकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीडर

22/11/24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी-अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1, 3 व 4 के विरूद्ध दिनांक 10/3/2017 को एकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 2 के द्वारा दिनांक 10/3/2021 को जवाब पेश किया गया था।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर अंतिम बहस करते हुये प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि भू-प्रबंध बंदोबस्त से पूर्व प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं. 255 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा दर्ज थी जिसे प्रतिबीघा 3 बीघा

— लगातार —

सहायक कलेक्टर 22/11/24
भीलवाड़ा

22/11/24 की दर से कम करने पर 3 बीघा 1.5 बिस्वा दर्ज किया जाना था, जबकि अप्रार्थी की पूर्वजों की खातेदारी भूमि खसरा नं. (सायिक) 253 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा था जिसके हाल खसरा नं. 578 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा दर्ज किया गया। भू-प्रबंध बंदोबस्त में जरीब परिवर्तन होने से 3 बिस्वा की प्रति बीघा की दर से कम होने पर हाल खसरा नं. 578 का रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा दर्ज किया गया है, जो गलत है। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा पूर्वजों से प्राप्त भूमि में से 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 2 को बेचान कर दिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा मिलीभगत करते हुये प्रार्थीगण की भूमि को हड़पना चाहते हैं। अतः अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा दुरभिसंधि करते हुए प्रार्थीगण की भूमि को हड़पने की नियत से ~~[struck through, illegible]~~ बेचान किया गया है तथा बंटवारा करवाया गया है। भू-प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण की कम की गई भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः मूल वाद के निस्तारण तक जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को confirm किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता (सं. 2) द्वारा बहस करते हुये प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि से लगते हुए खसरा नं. 574, 575 व 577 में सायिक खसरा नं. के रकबे के मुकाबले वृद्धि की गई है तथा अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत वाद सं. 40/2014 अन्तर्गत धारा 183, 188-92(A) व 187 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दायर किया हुआ है। उक्त वाद को प्रस्तुत करने से पूर्व पत्थरगढी मुकदमा सं. 1123/12 में राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई थी। राजस्व कार्मिकों द्वारा अप्रार्थीगण की 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा होने की रिपोर्ट तैयार की गई है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा काउन्टर बहस में निवेदन किया कि भू-प्रबंध बंदोबस्त द्वारा उनकी खातेदारी भूमि का क्षेत्रफल 8.5 बिस्वा कम कर दिया गया है जो अप्रार्थी के खाते में बढ़ने परन्तु मौके पर हमारा कब्जा काश्त होने से मौके की स्थिति में परिवर्तन का कोई आदेश नहीं होना चाहिये। इस ~~[struck through, illegible]~~ कारण माननीय न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय

कलक्टर
कोटड़ा

—लगातार—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/11/15	नारायण v/s मैक 29/2015 अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक स्थाई किया जावे। उभयपक्षकारान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, अप्रार्थी सं. 2 अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया, संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन, बहस के चिंतन एवं मनन उपरान्त प्रथम दृष्टया यह उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निर्णय तक स्थाई किया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के पक्ष में दिनांक 23/5/2015 को जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई (confirm) किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम राजपुरा के खसरा नं. 578 तरमीमशुदा नं. 578/1, 578/2 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा का अप्रार्थी सं. 1 व 2 मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि अन्य को विक्रय, रहन, बख्शीश या अंतरण नहीं करेंगे तथा वादग्रस्त भूमि के [illegible] हिस्से की 8.5 बीघा भूमि से प्रार्थीगण को बेदखल करने की कार्यवाही नहीं करेंगे। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।	

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा
22/11/15